भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:1838
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन,1946 (शक)

विरासत स्मारकों पर पार्किंग सुविधाएं

1838. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा प्रबंधित स्मारकों में पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों पर पार्किंग सुविधाओं के खराब प्रबंधन की जानकारी है, जिसका आगंतुकों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन स्मारकों पर पार्किंग अवसंरचना में सुधार लाने, अधिक प्रभार वसूलना रोकने और पर्किंग ठेकेदारों के साथ विवादों को रोकने और पार्किंग प्रभारों को विनियमित करने हेतु फास्टैग सुविधाएं आरंभ करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्य करने हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) समग्र सेवा प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कौन-सा प्राधिकरण विशिष्ट सुविधाओं का प्रबंधन करता है, विरासत स्थलों पर आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की पार्किंग सुविधाओं के लिए एक समान मानक स्थापित करने, जिसमें फास्टैग जैसी प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित स्मारकों में आगंतुक सुविधाओं में सुधार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): आमतौर पर संरक्षित संस्मारकों में पार्किंग की सुविधा स्थानीय प्राधिकारियों/प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों में यथा उपलब्ध स्थान पर वाहनों की पार्किंग का प्रावधान किया जाता है। वर्तमान में 106 स्मारकों एवं क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी एवं लाल किला में पार्किंग की सुविधा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विकसित एवं प्रबंधित की जाती है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अधिदेश संरक्षित संस्मारको एवं क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण करना है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसके द्वारा प्रबंधित पार्किंग क्षेत्रों में उचित पार्किंग शुल्क सुनिश्चित करता है।

(घ): नेमी अनुरक्षण, रख-रखाव और संरक्षण के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन संस्मारको में आने वाले पर्यटकों की संख्या एवं व्यवहार्यता के अनुसार पेयजल, शौचालय, संकेतक, आगंतुक हेतु बैंच, भोजनालय, शिशु-दुग्धपान कक्ष, व्हील चेयर, आडियो गाइड, सुगम-पथ, रैम्प, कूड़ादान आदि जैसी मूलभूत पर्यटक सुख-सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, कुछ एक स्मारकों में पर्यटन विभाग/स्थानीय प्रशासन के सहयोग से व्याख्या केन्द्र, लाइट एवं साउंड शो, प्रदीप्तिकरण आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों द्वारा स्मारक परिसर में सुविधाएं प्रदान और विकसित करके पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए "एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2.0" भी शुरू किया है।

(ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विचाराधीन नहीं है।

*****